GUIDELINES FOR ASSISTANT PROFESSOR MP PSC

M
P
P
S
C

GOVT. M. H. COLLEGE OF HOME SCIENCE AND SCIENCE FOR WOMEN, JABALPUR

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

सहायक प्राध्यापक परीक्षा - 2017

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 07/2017/ 12.12.2017
उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन

ऑनलाइन आवेदन करने की
अंतिम तिथि 24.01.2018

महत्वपूर्ण

1- आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जायेगे. आवेदन पत्र दिनांक 25.12.2017 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 24.01.2018 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते है । ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-

हेल्पलाइन :- 0755-4019400

2- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें । ऑनलाइन आवेदनपत्रों में 30.12.2017 से 26.01.2018 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा । इस हेतु प्रति सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा ।

3- ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक/ निःशक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जाएगें तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा ।

4- विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहे ।

5- आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आये और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, के अंतर्गत निम्न पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

बैकलाग पद :-

क्रमांक	विषय	रिक्त पदों की संख्या				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी निःशक्त अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या		
		SC	ST	OBC	कुल	SC	ST	OBC	अ.बा.	द.बा.	श्र.बा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	वनस्पति शास्त्र	0	9	0	9	0	3	0	0	0	0
2	रसायन शास्त्र	4	36	0	40	1	12	0	0	3	2
3	वाणिज्य	37	53	0	90	12	17	0	3	5	4
4	नृत्य	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0
5	अर्थशास्त्र	24	62	4	90	8	20	1	2	4	3
6	अंग्रेज़ी	24	58	17	99	8	19	6	2	5	5
7	भूगोल	3	3	0	6	1	1	0	0	0	0
8	भूगर्भशास्त्र	4	4	1	9	1	1	0	0	0	0
9	हिंदी	30	40	5	75	10	13	2	2	5	5
10	गृह विज्ञान	11	16	0	27	4	5	0	2	2	2
11	विधि	13	14	2	29	4	5	1	1	1	1
12	गणित	9	38	0	47	3	13	0	1	2	2
13	सैन्य विज्ञान	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0
14	संगीत	2	2	0	4	1	1	0	0	0	0
15	दर्शनशास्त्र	3	4	1	8	1	1	0	0	0	0
16	भौतिक शास्त्र	4	2	0	6	1	1	0	2	2	2
17	राजनीति शास्त्र	24	47	8	79	8	16	3	0	4	4
18	मनोविज्ञान	0	6	0	6	0	2	0	0	0	0
19	लोक प्रशासन	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
20	समाजशास्त्र	24	33	0	57	8	11	0	1	3	3
21	उर्दू	3	3	0	6	1	1	0	0	0	0
22	प्राणी शास्त्र	0	14	0	14	0	5	0	0	2	0
	योग	**221**	**447**	**39**	**707**	**72**	**147**	**13**	**17**	**38**	**33**

पदोन्नति/ सेवा निवृत्ति से रिक्त पद

क्रमांक	विषय	रिक्त पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी नि:शक्त अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या		
		UR	SC	ST	OBC	कुल	UR	SC	ST	OBC	अ.बा.	इ.बा.	श्र.बा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	एक्वाकल्चर	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	अरबी	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	जीव रसायन	1	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0
4	वनस्पति शास्त्र	17	0	24	33	74	6	0	8	11	3	4	5
5	रसायन शास्त्र	4	4	15	47	70	1	1	5	16	2	5	6
6	वाणिज्य	25	2	9	28	64	8	1	3	9	3	5	4
7	अपराधशास्त्र	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
8	नृत्य	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
9	चित्रकला	1	0	3	3	7	0	0	1	1	0	0	0
10	अर्थशास्त्र	15	3	8	38	64	5	1	3	13	0	4	3
11	अंग्रेज़ी	4	5	11	36	56	1	2	4	12	3	4	4
12	भूगोल	16	3	6	11	36	5	1	2	4	2	3	3
13	भूगर्भशास्त्र	0	0	0	3	3	0	0	0	1	0	0	0
14	हिंदी	0	4	2	45	51	0	1	1	15	3	3	5
15	इतिहास	27	1	10	30	68	9	0	3	10	1	2	5
16	इतिहास (प्राचीन)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
17	गृह विज्ञान	0	0	0	10	10	0	0	0	3	1	2	2
18	ज्योतिष	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
19	विधि	58	1	13	10	82	19	0	4	3	1	2	2
20	गणित	20	5	8	17	50	7	2	3	6	0	3	2
21	सैन्य विज्ञान	3	1	2	2	8	1	0	1	1	0	0	0
22	दर्शनशास्त्र	1	0	2	3	6	0	0	1	1	0	0	0
23	भौतिक शास्त्र	22	0	34	29	85	7	0	11	10	2	3	3
24	राजनीति शास्त्र	17	11	7	41	76	6	4	2	14	2	4	4
25	मनोविज्ञान	0	0	0	4	4	0	0	0	1	0	0	0
26	संस्कृत	16	0	0	11	27	5	0	0	4	0	2	1
27	संस्कृत ज्योतिष	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
28	संस्कृत प्राच्य	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0
29	संस्कृत साहित्य	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0
30	संस्कृत व्याकरण	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0
31	समाजशास्त्र	0	11	16	32	59	0	4	5	11	2	3	3
32	सांख्यिकी	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
33	उर्दू	10	4	6	2	22	3	1	2	1	0	1	1
34	वेद	2	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0
35	प्राणी शास्त्र	21	8	15	42	86	7	3	5	14	3	3	3
36	संगीत गायन	0	1	1	2	4	0	0	0	1	0	0	0
	योग	**290**	**67**	**199**	**484**	**1040**	**91**	**21**	**64**	**162**	**28**	**53**	**56**

नवीन सृजित पद :

क्रमांक	विषय	रिक्त पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी निःशक्त अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या		
		UR	SC	ST	OBC	कुल	UR	SC	ST	OBC	अ.बा.	दृ.बा.	श्र.बा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	वनस्पति शास्त्र	48	15	19	13	**95**	16	5	6	4	2	5	4
2	रसायन शास्त्र	92	29	37	26	**184**	30	10	12	9	4	6	5
3	ऑर्गेनिक रसायन	2	0	1	0	**3**	1	0	0	0	0	0	0
4	भौतिक रसायन	2	0	0	0	**2**	1	0	0	0	0	0	0
5	वाणिज्य	48	15	19	13	**95**	16	5	6	4	4	4	4
6	अर्थशास्त्र	34	11	13	9	**67**	11	4	4	3	1	2	3
7	अंग्रेज़ी	54	17	22	15	**108**	18	6	7	5	2	2.	2
8	भूगोल	20	6	8	6	**40**	7	2	3	2	1	1	1
9	हिंदी	52	16	20	14	**102**	17	5	7	5	2	2	3
10	इतिहास	39	12	15	11	**77**	13	4	5	4	2	2	2
11	विधि	29	9	12	8	**58**	10	3	4	3	1	1	1
12	गणित	35	11	14	10	**70**	12	4	5	3	0	3	3
13	भौतिक शास्त्र	65	21	26	18	**130**	21	7	9	6	3	4	5
14	राजनीति शास्त्र	30	9	12	8	**59**	10	3	4	3	1	2	3
15	समाजशास्त्र	22	7	9	6	**44**	7	2	3	2	1	3	3
16	प्राणी शास्त्र	44	14	17	12	**87**	15	5	6	4	4	3	3
	योग	**616**	**192**	**244**	**169**	**1221**	**205**	**65**	**81**	**57**	**28**	**40**	**42**

दो - पद का विवरण

(A) **विभाग का नाम** : **मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग**

(B) **श्रेणी** : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी

(C) **पद स्थिति** : स्थायी

(D) **वेतनमान** : रुपये 15600-39100 + एजीपी 6000

(E) **कर्तव्य** : शैक्षणिक कार्य

(F) **पद का नाम** : **सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor)**

(G) **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता** : (i) किसी भी सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित रूप के अनुसार श्रेष्ठ अकादमिक रिकार्ड- जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (जहां पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो-तदनुसार एक पाइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो) जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो-किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से सापेक्ष विषय में प्राप्त हो-अथवा किसी भी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त कोई समतुल्य डिग्री हो

(ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती है-अथवा सी.एस.आई.आर. द्वारा-अथवा इसके समतुल्य सफल किए गए परीक्षण जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित किया गया है जैसा कि स्लेट/सेट आदि।

टीप- मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित सेट परीक्षा के सफल अभ्यर्थी ही पात्र होंगें। अन्य राज्यों के सेट/स्लेट सफल अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगें।

(iii) उपरोक्त उपधारा (i) एवं (ii) के अंतर्गत जो भी व्यक्त किया गया है- इस सबके बावजूद भी, ऐसे अभ्यर्थी जिनकों कि यू.जी.सी. नियमन-2009 के अनुरूप पीएच.डी. डिग्री प्रदान हुई है अथवा बाद में ऐसे विनियमों द्वारा जिन्हें यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अधिसूचित किया है। (न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि पीएच.डी. प्रदान करने के लिए है)-ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट मिल जाएगी- जो विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित की गई है। तथापि, दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व एम.फिल./ पीएचडी हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी:-

(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित (Regular) पद्धति से पीएचडी उपाधि प्रदान की गयी हो

(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो

(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित (Refereed) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/ सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों

(ड.) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो

उपर्युक्त (क) से (ड.) को कुलपति/ सम-कुलपति/ संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/ संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

टीप मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1, दिनांक 05 दिसंबर 2017 के पत्र द्वारा स्पष्ट किया गया है कि:

11 जुलाई 2009 के पूर्व पंजीकृत तथा 11 जुलाई 2009 के पश्चात नियमन लागू होने के दिनांक तक पी.एच.डी. प्राप्त अभ्यर्थियों की उपाधि पर भी उपरोकतानुसार अर्हता मान्य होगी। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

(iv) ऐसे विषय, जिनमें इसी प्रकार के स्नातकोत्तर कार्यक्रम नेट/स्लेट/सेट के लिए संचालित नहीं किए जाते है-उनके लिए नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्यता नहीं होगी।

(v) यूजीसी का राजपत्र प्रकाशन अधिसूचना दिनांक 4 मई 2016 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ विभिन्न शारीरिक विकलांगता वाली

(शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक रूप से विकलांग) श्रेणियों के व्यक्तियों को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जा सकती है शिक्षण संबंधी स्थानों/ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में पात्रता एवं श्रेष्ठ अकादमिक रिकार्ड को निर्धारित करने के उद्देश्य से होगी। पात्रता के लिए आवश्यक 55 प्रतिशत अंक (अथवा ऐसी कोई स्थिति जहां ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहां पर किसी भी "पाइंट स्केल" की समकक्ष श्रेणी में) तथा 5 प्रतिशत की छूट जिन उपरोक्त श्रेणियों के लिए व्यक्त की गयी है-वे अनुमत होंगी-जो कि अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेंगी-और जिनमें अनुग्रहांक के सम्मिलित करने की विधि लागू नहीं होगी।

(vi) साथ ही ऐसे पीएच.डी. धारक जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली है, उनके अंकों में 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जाए-55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत।

टीप:- 01 सभी विज्ञापित विषयों मे नेट/स्लेट की परीक्षा या तो मूल विषय के नाम से अथवा तत्संबंधी यूजीसी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा को मान्य किया जाएगा जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1 दिनांक 15/11/2017)

क्र.	विषय	यूजीसी नेट में अंकित विषय	क्र.	विषय	यूजीसी नेट में अंकित विषय
1	एक्वाकल्चर	लाईफ साइंस	21	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान
2	रसायन शास्त्र	केमिकल साइंस	22	लोक प्रशासन	लोक प्रशासन
3	अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्र	23	संगीत	संगीत
4	आर्गनिक रसायन	केमिकल साइंस	24	संगीत गायन	संगीत
5	फिजिकल रसायन	केमिकल साइंस	25	हिन्दी	हिन्दी
6	भूगर्भ शास्त्र	अर्थ साइंस	26	संस्कृत	संस्कृत
7	राजनीति शास्त्र	राजनीति शास्त्र	27	उर्दू	उर्दू
8	वनस्पति शास्त्र	लाईफ साइंस	28	अरबी	अरबी
9	जीव रसायन	लाईफ साइंस	29	अँग्रेजी	अँग्रेजी
10	दर्शनशास्त्र	दर्शनशास्त्र	30	विधि	विधि
11	मनोविज्ञान	मनोविज्ञान	31	अपराध शास्त्र	अपराध शास्त्र
12	प्राणी शास्त्र	लाईफ साइंस	32	ज्योतिषि	संस्कृत ट्रेडीशनल सब्जेक्ट
13	गणित	मैथमेटिकल साइंस	33	संस्कृत ज्योतिषि	
14	सांख्यिकी	मैथमेटिकल साइंस	34	संस्कृत प्राच्य	
15	भौतिक शास्त्र	फिजिकल साइंस	35	संस्कृत व्याकरण	
16	समाजशास्त्र	समाजशास्त्र	36	संस्कृत साहित्य	
17	इतिहास	इतिहास	37	वेद	
18	इतिहास-प्राचीन	इतिहास	38	चित्रकला	विजूअल आर्ट्स
19	वाणिज्य	वाणिज्य	39	भूगोल	भूगोल
20	सैन्य विज्ञान	डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टेडिज़	40	नृत्य	परफ़ार्मिंग आर्ट्स

02 मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1, दिनांक 28.11.2017 द्वारा निम्न विषयों के संबन्धित सहविषयों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रं.	विषय	सह विषय (Allied Subject)
1	वनस्पतिशास्त्र (Botany)	1. सूक्ष्म जीवविज्ञान (Micro Biology) 2. जैव प्रोद्योगिकी (Bio Technology) 3. जीव विज्ञान (Bio Science) 4. पर्यावरण विज्ञान (Environmental Science) 5. फारेस्ट्री (Forestry) 6. बायोकेमिस्ट्री (Bio Chemistry) 7. जैव सूचना विज्ञान (Bio Informatic Science)

		8. आनुवंशिकी (Genetics)
2	वाणिज्य (Commerce)	1. लेखांकन (Accountancy) 2. प्रबंधन (Management) 3. लेखा प्रबंधन (Accounts Management)
3	अर्थशास्त्र (Economics)	1. एम. बी. ई. (Master of Business Economics) 2. व्यावहारिक अर्थशास्त्र (Applied Economics)
4	भूगोल (Geography)	1. समुद्र विज्ञान (Oceanography) 2. मौसम विज्ञान (Meterology)
5	भूगर्भशास्त्र (Geology)	1. एप्लाईड जियोलाजी (Applied Geology) 2. पैलेन्टोलाजी (Palaentology) 3. जियो फिजिक्स (Geophysics) 4. भू-विज्ञान (Earth Science) 5. रिमोट सेंसिंग (Remote Sensing)
6	हिन्दी (Hindi)	1. भाषा विज्ञान (Linguistics) 2. अनुवाद विज्ञान (Translation Science)
7	इतिहास (History)	1. आधुनिक इतिहास (Modern History) 2. मध्यकालीन इतिहास (Medieval History) 3. प्राचीन इतिहास (Ancient History)
8	गणित (Mathematics)	1. कम्प्यूटेशनल मैथेमेटिक्स (Computation Mathematics) 2. व्यावहारिक गणित (Applied Mathematics) 3. औद्योगिक गणित (Industrial Maths) 4. इंजीनियरिंग मैथ्स (Engineering Maths) 5. सांख्यिकी (Statistics) 6. मैथेमेटिकल साईन्स (Mathemetical Science)
9	भौतिकशास्त्र (Physics)	1. व्यावहारिक भौतिकी (Applied Physics) 2. पदार्थ विज्ञान (Material Science) 3. इलेक्ट्रानिक्स (Electronics)
10	राजनीतिशास्त्र (Political Science)	1. लोक प्रशासन (Public Administration) 2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relation)
11	मनोविज्ञान (Psychology)	1. चिकित्सकीय मनोविज्ञान (Clinical Psychology)
12	समाजशास्त्र (Sociology)	1. सोशल वर्क (Social Work) 2. मानवशास्त्र (Anthropology)
13	प्राणीशास्त्र (Zoology)	1. मत्स्य विज्ञान (Fisheries) 2. एक्वाकल्चर (Aquaculture) 3. पर्यावरण विज्ञान (Environmental Science) 4. बायोकेमिस्ट्री (Biochemistry) 5. सरोवर विज्ञान (Limnology) 6. कीट विज्ञान (Entomology) 7. जैव प्रौद्योगिकी (Bio-Technology) 8. जीव विज्ञान (Bio Science) 9. आनुवंशिकी (Genetics) 10. जैव सूचना विज्ञान (Bio-Informatics)
14	रसायन शास्त्र (Chemistry)	1. व्यावहारिक रसायनशास्त्र (Applied Chemistry) 2. पर्यावरण रसायनशास्त्र (Environmental Chemistry) 3. फार्मास्युटिकल रसायन (Pharmaceutical Chemistry) 4. भौतिक रसायन (Physical Chemistry)

		5. कार्बनिक रसायन (Organic Chemistry) 6. अकार्बनिक रसायन (Inorganic Chemistry) 7. औद्योगिक रसायन (Industrial Chemistry) 8. विश्लेषणात्मक रसायन (Analytical Chemistry)
15	संस्कृत (Sanskrit)	1. योगा (Yoga)

(1) कालम (2) में उल्लेखित विषयों के सह विषय कालम (3) में दिये गए है तथा कालम (2) में उल्लेखित विषयों हेतु कालम (3) के विषयों से संबन्धित अभ्यर्थी आवेदन कर सकते है ।

(2) ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों के सहविषयों में स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता रखते है, को किसी एक मुख्य विषय के रिक्त पदों में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।

(3) परीक्षा का आयोजन मुख्य विषय में ही किया जाएगा

(H) आयु सीमा: **मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों हेतु** :- 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों हेतु :- 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 28 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2016/3-1, दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार)

(I) आयु संगणना तिथि **01.01.2018**

तीन (i) आवेदक के पास उपर्युक्त अर्हतायें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि **24.01.2018** तक होना चाहिये आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हतायें अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

(ii) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या मे लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने के पूर्व तक वृद्धि की जा सकेगी। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(iii) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

(iv) **किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगें।**

(v) **सहायक प्राध्यापक के पदों हेतु पद विवरण में दर्शाये अनुसार नि:शक्त श्रेणी हेतु आरक्षण तथा छूटों की पात्रता रहेगी । न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक नि:शक्त अभ्यर्थी ही आरक्षण तथा छूटों के पात्र होंगें।**

(vi) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला तथा नि:शक्तजन हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला तथा नि:शक्तजन हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है तथा अन्य प्रदेशों के नि:शक्तजन तथा महिला अभ्यर्थी आरक्षण हेतु पात्र नहीं है। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा।

(vii) मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

आयु सीमा में दी गयी अन्य छूटों के लिए <u>परिशिष्ट -1</u> देखें।

चार **मध्य प्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।**

छः अधिवार्षिकी आयु :- 65 वर्ष

सात चयन प्रक्रिया :-

(1) उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्तांकों तथा यदि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों/ मध्यप्रदेश शासन द्वारा वित्तपोषित राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक संकायों की अध्ययन शालाओं में अतिथि विद्वान है तो इस रूप में कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक के योग के गुणानुक्रम के आधार पर होगा।

(2) ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर गुणानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी हेतु विज्ञापित पदों की संख्या के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को साक्षात्कार हेतु अभिलेख परीक्षण के लिए सफल घोषित किया जायेगा। ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इस प्रकार उनके लिये लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(3) अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात जो अभ्यर्थी अर्ह पाये जायेंगे केवल उन्हें ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार के लिये आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी आवेदकों को आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in ,www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर सूचित किया जायेगा।

(4) साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा।

(5) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। **चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/ लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।**

ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा की योजना हेतु परिशिष्ट-4 देखें। ऑनलाइन परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com. पर उपलब्ध है जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है।

ऑनलाइन परीक्षा की तिथि एवं तत्सम्बंधी व्यवस्था यथासमय "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com. पर प्रकाशित किया जाएगा।

आठ ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा की तिथि तथा केंद्र :- ऑनलाइन परीक्षा **इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना तथा उज्जैन** स्थित निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी । आवेदकों की संख्या तथा प्रशासकीय कारणों से परीक्षा केन्द्रों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है की अभ्यर्थी को उसके द्वारा चयनित शहर केंद्र ही आबंटित किया जावे। प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से पृथक केंद्र भी आबंटित किया जा सकेगा।

ऑनलाइन परीक्षा की समय सारिणी तथा तथा अन्य आवश्यक जानकारियां यथासमय **"रोजगार और निर्माण"** समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट <u>www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com,</u> पर उपलब्ध कराई जाएगी।

नौ **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किये जा सकेगें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **<u>परिशिष्ट -2</u>** का अवलोकन करें।

दस अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र व्यवहार किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी का वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तित होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को चाहिये कि वह अविलंब नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करे। अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तन की स्थिति में नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र-व्यवहार पुराने वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर किया जायेगा जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

ग्यारह आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देंखें :-

(i) आयु सीमा की छूटें <u>परिशिष्ट -1</u>

(ii) मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों हेतु देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट की व्यवस्था <u>परिशिष्ट -2</u>

(iii) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां <u>परिशिष्ट -3</u>

(iv) परीक्षा योजना हेतु <u>परिशिष्ट -4</u>

(v) ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में निर्देश <u>परिशिष्ट-5</u>

<u>सचिव</u>

उच्चतर आयु सीमा में देय छूटें

(1) **मध्य प्रदेश शासन** , उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-12/2017/38-1, दिनांक 14.08.2017 द्वारा आयु सीमा में छूट का निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

(1) उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में केवल एक बार के लिए 03 वर्ष की निम्नानुसार छूट दी जावे :-

1.	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40+3 = 43 वर्ष
2.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/ निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक/नि:शक्तजन)	45+3 = 48 वर्ष

(2) **मध्य प्रदेश के उन मूल निवासी** अभ्यर्थियों को जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में किया है तथा जिन्होंने उसी विषय के सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया है, को अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार प्रति अकादमिक सत्र एक वर्ष के मान से निर्धारित आयु सीमा में निम्नानुसार अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जावे :-

1.	पुरुष अनारक्षित वर्ग के लिए	40+5 = 45 वर्ष
2.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/ निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक/नि:शक्तजन)	45+5 = 50 वर्ष
अतिथि विद्वानों के लिए यह छूट कंडिका 1 में दी गयी छूट के अलावा नहीं होगी ।		

मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग परिपत्र क्रमांक 969/एफ 1-9/2016/38-1, दिनांक 08.08.2016 के अनुसार उपरोक्त छूट शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना के तहत कार्यरत अतिथि विद्वानों एवं राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक विभागों से संबन्धित विषयों का अध्यापन कार्य करने वाले को भी उपरोक्तानुसार मान्य किया जाएगा।

(2) **अन्य छूट :- प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूटे:-**

1 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

2 विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 3.9.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3 भूतपूर्व सैनिकों को अनुज्ञेय आयु सीमा में छूट:- भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा की गयी सेवा के आधार पर अधिकतम 3 वर्षों की छूट होगी जो की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के अध्यधीन होगी।

स्पष्टीकरण -

(1) भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985" के नियम 2 (ग) में अद्यतन संशोधन द्वारा यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक।

(2) ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को जो सैनिक सेवा में है उन्हें भूतपूर्व सैनिक का लाभ नहीं दिया जाएगा । भूतपूर्व सैनिक को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व सेना से

डिस्चार्ज होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4 उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (1,2,3) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों / योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

5 समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूटें मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नि:शक्त तथा महिला आवेदकों को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगे।

नोट :-

(01) उपरोक्त परिशिष्ट -1 बिन्दु 1 तथा 2 मे उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) आवेदकों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुये भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी (केवल उन प्रवर्गों को छोड़कर जिनमें उपरोक्त बिन्दु (1) में 45 वर्ष से अधिक छूट प्रदान की गयी है) । अर्थात जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं है। (केवल उन प्रवर्गों को छोड़कर जिनमें उपरोक्त बिन्दु (1) में 45 वर्ष से अधिक छूट प्रदान की गयी है)

(03) अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नही की जाएगी तथा उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष रहेगी।

मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट संबंधी व्यवस्था

मध्य प्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1, दिनांक 22.09.2017 द्वारा आयु सीमा में छूट का निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

मध्य प्रदेश के मूल निवासी उन अभ्यर्थियों को, जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप मे किया है तथा जिन्होंने उसी विषय के सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया है, को अतिथि विद्वान के रूप मे किए गए कार्य के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार प्रति अकादमिक सत्र एक वर्ष के मान से निर्धारित आयु सीमा में निम्नानुसार अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जाय :-

1.	पुरुष अनारक्षित वर्ग के लिए	40+5 = 45 वर्ष
2.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/ निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक/नि:शक्तजन)	45+5 = 50 वर्ष
मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग परिपत्र क्रमांक 969/एफ 1-9/2016/38-1, दिनांक 08.08.2016 के अनुसार उपरोक्त छूट शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना के तहत कार्यरत अतिथि विद्वानों एवं राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक विभागों से संबन्धित विषयों का अध्यापन कार्य करने वाले को भी उपरोकतानुसार मान्य किया जाएगा।		

अतिथि विद्वान प्रति सत्र अधिकतम 4 अतिरिक्त वरीयता अंक के मान से अधिकतम 20 अंक की सीमा तक वरीयता अंक प्राप्त करेंगें। **वरीयता अंक अंतिम मेरिट सूची तैयार करते समय जोड़े जाएंगे।**

(1) उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना के तहत कार्यरत अतिथि विद्वानों एवं राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक विभागों से संबन्धित विषयों का अध्यापन कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों को निम्नानुसार वरीयता अंक तथा अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी :_

वरीयता अंक :-

1	एक शैक्षणिक सत्र में 151 या 151 से अधिक कालखंडों पर	04 अंक
2	एक शैक्षणिक सत्र में 101 या 150 तक के मध्य कालखंडों पर	03 अंक
3	एक शैक्षणिक सत्र में 51 से 100, तक के कालखंडों पर	02 अंक
4	एक शैक्षणिक सत्र में 25 से 50 तक के कालखंडों पर	01 अंक
वरीयता अंक का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासी विद्वानों तथा मध्य प्रदेश के बाहर से आए अतिथि विद्वानों के लिए भी मान्य होगी।		

आयु सीमा में छूट :-

	एक शैक्षणिक सत्र में अनुभव के चार अंक प्राप्त होने पर	01 वर्ष
टीप:-	1. आवेदक सम्पूर्ण अतिथि अध्यापन अवधि में कार्य अनुभव के आधार पर प्रति सत्र अधिकतम 04 वरीयता अंक अधिकतम 20 अंक एवं प्रति सत्र 04 अंक प्राप्त करने पर ही एक वर्ष की छूट अधिकतम 5 वर्ष की छूट का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगें जो **म.प्र. मध्य प्रदेश शासन** , उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-12/2017/38-1, दिनांक 14.08.2017 द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी।	
	2. आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अतिथि विद्वानों को देय होगी तथा मध्य प्रदेश के बाहर से आए अतिथि विद्वानों के लिए यह मान्य नही होगी तथा उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष रहेगी ।	

(2) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप मे किया है वे इस परिशिष्ट-2 से संलग्न प्रपत्र -एक में संबंधित महाविद्यालय/ महाविद्यालयों के प्राचार्य से अनुभव प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगें।

(3) उक्त प्रमाण-पत्र/ प्रमाण-पत्रों के आधार पर इस परिशिष्ट-2 से संलग्न प्रपत्र -दो (गणना-पत्रक) की अध्यापन अनुभव के आधार पर पूर्ति करेंगें तथा तत्पश्चात उक्त गणना पत्रक को प्रमाणीकरण हेतु अग्रणी महाविद्यालय में प्राधिकृत जांचकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करेंगें।

(4) अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित गणना-पत्रक के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट का उल्लेख अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथा-स्थान किया जाएगा जिससे उसे 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अध्यधीन अधिकतम आयु सीमा में गणना-पत्रक में अभिप्रमाणित छूट प्राप्त हो सकेगी।

(5) जिन अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना के तहत विभाग द्वारा स्वीकृत विषयों में अतिथि विद्वानों के रूप में कार्य किया है, उन्हें भी उपरोकतानुसार वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट का लाभ देय होगा।

(6) मध्य प्रदेश के राज्य पोषित विश्वविद्यालयों की अध्ययन शालाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध पारदर्शी निर्धारित चयन प्रक्रिया से नियुक्त कार्यरत विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों के अतिथि विद्वानों हेतु प्रमाणीकरण की व्यवस्था उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा अभिनिर्धारित रीति से की जाएगी।

प्रपत्र- एक

कार्यालय, प्राचार्य, ... (शासकीय महाविद्‌यालय का नाम)

शासकीय महाविद्‌यालय का पता, दूरभाष एवं ई-मेल: ....

....

अनुभव प्रमाण-पत्र

(केवल लोक सेवा आयोग द्‌वारा जारी सहायक-प्राध्यापक सीधी भर्ती के सन्दर्भ में मान्य)

(अतिथि विद्‌वान के रूप में शैक्षणिक कार्य सम्पादित करने हेतु)

क्रमांक: ....   स्थान: ...., दिनांक: ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... (अतिथि विद्‌वान का नाम) आत्मज/आत्मजा श्री .... ने इस महाविद्‌यालय के .... विभाग में अतिथि विद्‌वान के रूप में निम्नानुसार सत्रों में शैक्षणिक कार्य संपन्न किया :

क्रमांक	शैक्षणिक सत्र	कुल कालखंडो की संख्या	रिमार्क

टीप: यह अनुभव प्रमाण-पत्र महाविद्‌यालयीन लेखा एवं अन्य अभिलेखों के आधार पर जारी किया गया है|

स्थान: ....

(हस्ताक्षर)

प्राचार्य का नाम ....
प्राचार्य की पद मुद्रा

अनुभव के अधिभार की गणना हेतु पत्रक

प्रपत्र-2

(अतिथि विद्वान के रूप में शासकीय महाविद्यालयों में कार्य अनुभव के अधिभार की गणना बाबत)

विषय:	

आवेदक का पूरा नाम : ....

पिता/पति का नाम : ....

आवेदक को उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने पर, अनुभव के आधार पर वरीयता अंक अंतिम मेरिट में जोड़े जावेगें। अधिभार की गणना हेतु प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए शैक्षणिक-कार्य अथवा लाइब्रेरियन/स्पोर्ट्स-ऑफिसर के रूप में कार्य करने पर निम्न तालिकानुसार अनुभव के अंक प्रदान किये जावेगें:

1. एक शैक्षणिक सत्र में 151 से अधिक कालखण्डों पर : 04 अंक
2. एक शैक्षणिक सत्र में 101 से 150 के मध्य कालखण्डों पर : 03 अंक
3. एक शैक्षणिक सत्र में 51 से 100 के मध्य कालखण्डों पर : 02 अंक
4. एक शैक्षणिक सत्र में 25 से 50 तक के कालखण्डों पर : 01 अंक
5. लाइब्रेरियन/स्पोर्ट्स-ऑफिसर के लिए कालखण्डों के स्थान पर कार्यदिवस की संख्या प्रतिस्थापित करें।

अधिभार की गणना की तालिका

शैक्षणिक सत्र (अधिकतम पांच)	क्रमांक	महाविद्यालय/यों का/के नाम	महाविद्यालयवार कालखण्डों/ कार्यदिवस की संख्या	सत्रवार कालखण्डों / कार्यदिवस की कुल संख्या	सत्रवार अनुभव के अंक	सत्रवार अनुभव के आधार पर आयु सीमा में छूट	संलग्न प्रमाणपत्र का क्रमांक एवं दिनांक
.... (प्रथम सत्र)	....	....	....	....	....	....	....
.... (द्वितीय सत्र)	....	....	....	....	....	....	....
.... (तृतीय सत्र)	....	....	....	....	....	....	....
.... (चतुर्थ सत्र)	....	....	....	....	....	....	....
.... (पंचम सत्र)	....	....	....	....	....	....	....
अनुभव के कुल अंकों का योग (अधिकतम अंक 20)							

अग्रणी महाविद्यालय द्वारा अभिप्रमाणीकरण के लिए आरक्षित स्थान	
अनुभव के कुल अंक :	
आयु सीमा में छूट :	.... (जांचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं नाम)
प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं मोहर:	

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक: ....

टीप-1: आयु सीमा में छूट का लाभ भी उपरोक्त गणना के अनुसार प्रति सत्र अनुभव के लिए 01 वर्ष की दर से अधिकतम पांच वर्ष की छूट का लाभ लिया जा सकता है। इस प्रकार उपरोक्त छूट को जोड़ते हुए आवेदक की आयु विज्ञापन में निर्धारित तिथि को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2: जिले के अग्रणी महाविद्यालय से अनुभव के अंक एवं आयु सीमा में छूट का अभिप्रमाणीकरण कराने का दायित्व आवेदक का ही होगा।

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1- **सहायक प्राध्यापक** के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

1- उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगें

1. www.mponline.gov.in 2. www.mppscdemo.in
3. www.mppsc.com 4. www.mppsc.nic.in

3- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र mponline के अधिकृत कियोस्क से आवेदन/ परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान करके भर सकते है। इसके अतिरिक्त अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते है। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते है।

4- आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने अर्हता से संबन्धित सभी अभिलेखों, नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइले तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट है। **mponline के अधिकृत कियोस्क पर स्केनिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है।**

5- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिये कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

6- आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म मे अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन पत्र submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

7- आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगें। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा ।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8- **त्रुटि सुधार सुविधा :-** आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक **30.12.2017** से **26.01.2018** तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा स्वयं ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक/ नि:शक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा ।

09- आवेदक यह सुनिश्चित करें की उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2- परीक्षा तथा आवेदन शुल्क

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्तजन हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों हेतु
₹ 500/-	₹ 1000/-
सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्त शुल्क के अतिरिक्त निम्नानुसार पोर्टल शुल्क देय होगा:- (1) एम.पी. ऑनलाइन के कियोस्क के माध्यम से आवेदन भरने हेतु ₹ 150/- (GST सहित) (2) तथा स्वयं आवेदन पत्र भरने पर ₹ 100/- (GST सहित)	

टीप: आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्न परिस्थितियों में ही आवेदक को वापस किया जायेगा (पोर्टल शुल्क वापस नहीं किया जाएगा):-

01 यदि आयोग द्वारा विज्ञापन निरस्त किया जाये अथवा

02 किसी कारण से परीक्षा अथवा चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाय

नोट : **अभ्यर्थी आवेदन तथा परीक्षा शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के सिवा अन्य किसी भी राशि का भुगतान न करें तथा यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है अथवा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु Mponline से निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-**

हेल्पलाइन :- 0755-4019400

3- **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि**

(अ) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि <u>24.01.2018</u> है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 बजे के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

4- **अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां अपलोड करना अनिवार्य है :-**

<u>आयु संबंधी प्रमाण के लिए :-</u> केवल हाईस्कूल/ हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

<u>शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :-</u> हाईस्कूल/ हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदन ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

<u>अनुभव के प्रमाण पत्र :-</u> अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये। अनुभव प्रमाण पत्र में धारित पद, सेवा अवधि तथा कार्य के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये। ।

<u>नि:शक्तता प्रमाण-पत्र :-</u> नि:शक्त श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) नि:शक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। **सहायक प्राध्यापक के पदों हेतु पद विवरण में दर्शाये अनुसार नि:शक्त श्रेणी हेतु आरक्षण तथा छूटों की पात्रता रहेगी । न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक नि:शक्त अभ्यर्थी ही आरक्षण तथा छूटों के पात्र होंगें।**

जाति के **प्रमाण-पत्र** :- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र के साथ वैध प्रावधिक जाति प्रमाण-पत्र (जो की आवेदन की अंतिम तिथिको छ: माह के भीतर की अवधि में जारी हुआ हो) संलग्न किया जाता है तो साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है| यदि आवेदक साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए आवेदक स्वयम जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में आवेदक का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। <u>विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जायेगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी</u>

<u>आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगें। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें।</u>

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे प्रमाण-पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग को देय छूटों हेतु मान्य नहीं होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना होगा :-

टीप- अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर श्रेणी के अंतर्गत आते हो वे ऑनलाइन आवेदन पत्र अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत प्रस्तुत करें।

<u>घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप</u>

मैं -------------------- आयोग के विज्ञापन क्रमांक <u>07/2017 दिनांक 12.12.2017</u> के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मै निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं।

1. मै ----------------पुत्र/पुत्री श्री------------------ निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/-----------जिला ----------,मध्य प्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/ करती हूं कि मै --------------जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मै शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-28/2009/आ.प्र./एक , भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2013 में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मै सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूं।

दिनांक :- -------------

हस्ताक्षर..............................
नाम......................................
पता----------------------

आवेदन पत्र क्रमांक -----------------

मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वान के रूप में कार्यानुभव के प्रमाण-पत्र तथा गणना पत्रक :- मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों / मध्य प्रदेश शासन द्वारा वित्तपोषित राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक संकायों की अध्ययनशालाओं में अतिथि विद्वान के रूप में संपादित कार्यानुभव का **प्रमाण-पत्र** संबन्धित शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य से परिशिष्ठ -2 में उल्लेखित प्रपत्र-1 में प्राप्त करें तथा कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट का **गणना-पत्रक** प्रपत्र -2 में अग्रणी महाविद्यालय से प्राप्त करें। उक्त दोनों प्रपत्रों की स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करें।

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र **आवेदन-पत्र** के साथ अपलोड **करना आवश्यक** है।

<u>परिशिष्ट</u> -1 की कंडिका-(2) (1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
<u>परिशिष्ट</u> -1 की कंडिका-(2) (2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5- जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमे आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

अभिलेखों के स्वप्रमाणन के संदर्भ में अनुदेश :-

ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों की छायाप्रतियों का प्रमाणन राजपत्रित अधिकारी से कराना आवश्यक नहीं है । अभिलेखों की छायाप्रतियों का स्वप्रमाणन आवेदक द्वारा किया जा सकेगा। आवेदक ध्यान रखें कि उनके द्वारा प्रमाणित अभिलेख गलत तथा त्रुटिपूर्ण अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकता है।

6- अनुशासनिक निर्देश :-

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन दिये हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हों; या

07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक छति पहुंचाई हों; या

09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दिये गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमे परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिये गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हों; या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

<u>तब आयोग द्वारा :-</u>

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा
और/ या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उसपर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुसंशा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

<u>एवं तब शासन द्वारा :-</u>

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7- अनर्हतायें:- ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

9- अत्यंत महत्वपूर्ण:- आवेदक कृपया ध्यान रखें की परीक्षा केंद्र पर प्रवेश-पत्र के साथ निम्न मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने तथा उससे पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी।

1	पासपोर्ट	6 शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र
2	मतदाता पहचान पत्र	7 बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
3	ड्रायविंग लायसेंस	8 शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र
4	पैन कार्ड	9 राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय-पत्र
5	आधार कार्ड	

परीक्षा में सफल आवेदकों को साक्षात्कार के समय भी फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक स्वप्रमाणित छायाप्रति

लेकर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है। फोटो परिचय पत्र द्वारा आवेदक के पहचान की पुष्टि न होने पर आवेदक को परीक्षा/ साक्षात्कार में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

10- ऑनलाइन परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-

01 ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित किया जायेगा। आवेदक को उसके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जायेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जायेगा।

02 ऑनलाइन परीक्षा में अभिलेख जांच हेतु, अर्ह अभ्यर्थियों के अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरांत केवल उन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु चयनित किया जाएगा जिन्हें अभिलेखों की जांच में अर्ह पाया जाएगा ।

03 साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची साक्षात्कार कार्यक्रम के साथ आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित की जाएगी । साक्षात्कार में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

11- यात्रा व्यय का भुगतान :-

(अ) निम्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी :-

1. मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।
2. मध्य प्रदेश के मूल निवासी 40 % या अधिक दृष्टिबाधित नि:शक्त श्रेणी के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. दृष्टिबाधित नि:शक्तता के प्रमाणन हेतु जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी नि:शक्तता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।
3. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराये की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो ।

(द) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code, आधार नंबर का उल्लेख करना तथा तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की स्केन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुने।

(फ) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2017
परीक्षा योजना

(अ) अंक योजना :-

लिखित परीक्षा कुल 400 अंक, साक्षात्कार कुल 50 अंक, इस प्रकार पूर्णांक कुल 450 अंकों का होगा। परीक्षा ऑनलाईन पद्धति से आयोजित की जावेगी।

लिखित परीक्षा	विवरण	अंक
प्रश्न पत्र	विज्ञापित पद से संबन्धित विषय	
	लिखित परीक्षा के कुल अंक	400
साक्षात्कार		50
	कुल अंक	450

(ब) प्रश्न-पत्र योजना

(1) प्रश्न-पत्र में समस्त प्रश्न वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्प) प्रकार के हांगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प (A,B,C,D) होंगे। प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर (A,B,C,D) में समूहीकृत किया जायेगा। जिसमें से केवल एक ही सही उत्तर होगा।

(2) प्रश्नपत्र, पद से सम्बन्धित विषय का होगा जिसमें 2-2 अंकों के कुल 200 प्रश्न होंगे। इस प्रकार इस प्रश्नपत्र का पूर्णांक 400 होगा।

(3) प्रश्न-पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी। प्रश्न-पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। किन्तु भाषागत विषयों के प्रश्न-पत्र की रचना केवल संबन्धित भाषा में ही होगी।

(स) लिखित परीक्षा में उत्तीर्णांक :

लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु आवेदक को प्रश्नपत्र में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों को जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परीक्षा में कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।

(द) साक्षात्कार :

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर गुणानुक्रम में विभिन्न प्रवर्गो से भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदक साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये जायेंगे। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(इ) अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंक :

मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना के तहत कार्यरत अतिथि विद्वानों एवं राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक विभागों में संबन्धित विषयों का अध्यापन कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों को अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के अतिथि विद्वानों के संदर्भ मे राज्य शासन द्वारा अभिनिर्धारित प्राधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित गणना-पत्रक के आधार पर अधिकतम 20 वरीयता अंक दिये जायेंगे। इस संबंध में शासन से प्राप्त निर्देशों का पालन किया जावेगा।

(फ) चयन विधि :

अंतिम चयनफल, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग में अतिथि विद्वानों द्वारा प्राप्त वरीयता अंक को जोडकर कुल प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर घोषित किया जायेगा।

ऑनलाईन परीक्षा के संबंध में निर्देश

ऑनलाईन परीक्षा के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है-:

परीक्षा पूर्व निर्देश

01 परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in अथवा www.mppsc.com में निर्धारित लिंक पर आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन्मतिथि की प्रविष्टि कर ऑनलाईन प्राप्त कर सकते है। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र क्रमांक गुम गया है तो वे ऑनलाईन रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर, नाम एवं जन्मतिथि डालकर OTP (One Time Password)/ टोल फ्री नम्बर (आयोग द्वारा जारी)/ वेबसाइट पर उपलब्ध know your application number लिंक से प्राप्त कर सकते है।

02 परीक्षा हेतु रजिस्टर्ड आवेदकों को उनके द्वारा चुने गये विकल्प (शहर) के आधार पर रेण्डम विधि से रोल नम्बर प्रदाय किये जावेंगे ।

03 परीक्षार्थियों हेतु निम्न हेल्प लाईन तथा ई-मेल के द्वारा हेल्प डेस्क पर की गई पूछताछ की समुचित व्यवस्था की जाएगी:-

हेल्प लाईन नम्बर- 0731-2700406

ई-मेल- mppsconline@gmail.com

04 आयोग की वैबसाईट पर मॉक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई । अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि कर उक्त सुविधा के माध्यम से ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली से अपने आप को प्रशिक्षित कर सकेगा ।

05 परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के 01:30 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना आवश्यक है, ताकि उनकी प्रवेश संबंधी आवश्यक कार्यवाही समय रहते की जा सके ।

06 परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रानिक उपकरण एवं अन्य अनावश्यक सामग्री साथ में नहीं लावे तथा अपने हथेलियों पर किसी प्रकार का रंग, स्याही अथवा मेंहदी न लगी हो, क्योंकि इस कारण बायोमेट्रिक दर्ज नहीं हो पाता है ।

07 दृष्टिबाधित तथा ऐसे निरूशक्तजन जो दोनों हाथों से लिखने में असमर्थ है उन्हें प्रारम्भिक तथा मुख्य परीक्षा में 20 मिनट प्रतिघन्टा अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा तथा सहलेखक के उपयोग की अनुमति प्रदान की जाएगी। इस संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

अ उक्त श्रेणी के केवल ऐसे नि:शक्तजन को अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा जो सहलेखक का प्रयोग करेंगें ।

आ सहलेखक की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं करनी होगी। आयोग द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

इ सहलेखक की शैक्षणिक अर्हता हाईस्कूल/ हायर सेकेन्डरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी को उसके सहलेखक का मूल फोटो युक्त मान्य परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
(मान्य परिचय-पत्र सूची हेतु देखें परिशिष्ट-2 बिन्दु -7 (5))

ई सह लेखक को किसी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा मानदेय का भुगतान आयोग द्वारा नहीं किया जाएगा।

उ सहलेखक के प्रयोग की अनुमति केंद्राध्यक्ष द्वारा दी जाएगी इस हेतु अभ्यर्थी पर्याप्त समय पूर्व केंद्राध्यक्ष से संपर्क करें।

ऊ सहलेखक सुविधा की अनुमति हेतु अभ्यर्थी को जिला चिकित्सा-मण्डल/ सम्भागीय चिकित्सा-मण्डल/ राज्य चिकित्सा-मण्डल द्वारा जारी नि:शक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

08 परीक्षार्थी के परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने पर रजिस्ट्रेशन डेस्क पर परीक्षार्थी के मूल फोटो परिचय पत्र, एडमिट कार्ड, एवं फोटो की जांच प्रवेश पत्र एवं परीक्षार्थी के साथ मिलान किया जायेगा । तत्पश्चात बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (दाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा न होने पर बायें हाथ का अंगूठा एवं दोनों अंगूठे न होने पर बायें/दाएं हाथ की प्रथम उंगली एवं दोनों हाथ न होने की स्थिति में सहलेखक के अंगूठे का वेरिफिकेशन किया जावेगा ।

09 परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व पुलिस द्वारा तलाशी (Frisking) की जावेगी । जिससे कि परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार की वर्जित वस्तुऐं अन्दर न ले जा सके ।

परीक्षा हेतु वर्जित वस्तुयें

सामान्यतः ऑनलाइन परीक्षाओं में ऐसा पाया गया है कि परीक्षार्थी अपने कपड़ों, कफ़लिंक, चश्मा, जूते-मोजे, हाथ के बैंड/हाथ में बंधे बंधन इत्यादि में नाना प्रकार के इलेक्ट्रानिक डिवाइस का प्रयोग करते है। अतः परीक्षा कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सेण्डल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। एसेसरीज़ जैसे बालों को बांधने का क्लचर/ बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्में, पर्स/वालेट, टोपी वर्जित है। सिर, नाक, कान, गला, हाथ-पैर, कमर आदि में पहने जाने वाले सभी प्रकार के आभूषण तथा हाथ में बंधे धागे/ कलावा/ रक्षा सूत्र आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण कर वीक्षकों द्वारा परीक्षार्थी के कक्ष में जाने के पूर्व तलाशी ली जाएगी।

10 आयोग द्वारा निम्न फोटो आई-डी कार्ड मान्य किये गये है, इनमें से किसी एक की मूल प्रति साथ में लाना आवश्यक होगा । फोटो आई-डी की फोटोकापी मान्य नहीं की जावेगी।

1. मतदाता परिचय पत्र
2. आधार कार्ड
3. ड्राईविंग लायसेंस
4. पेन कार्ड
5. पासपोर्ट
6. फोटो सहित बैंक पासबुक
7. केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र ।
8. शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र ।
9. अभ्यर्थी का राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो ।

उपरोक्त के अभाव में परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा ।

ऑनलाइन परीक्षा की मुख्य विशेषतायें

11 सम्पूर्ण परीक्षा व्यवस्था सी.सी.टी.वी कैमरों की निगरानी में संचालित की जावेगी ।

12 आयोग द्वारा परीक्षार्थी को केन्द्र पर रफ कार्य किये जाने हेतु पेपर एवं पेन की सुविधा प्रदान की जावेगी। रफ कार्य किये जाने हेतु प्रदत्त पेपर परीक्षा समाप्ति पश्चात् परीक्षा कक्ष में छोड़कर जाना होगा ।

13 रजिस्ट्रेशन एवं वेरिफिकेशन के पश्चात् परीक्षार्थी को रूम नम्बर एवं सीट नम्बर अलाट किये जावेगे।

14 ऑनलाईन परीक्षा हेतु सभी केन्द्रों पर आयोग द्वारा केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त किये गये है जो प्रश्नपत्र को आयोग से सुरक्षितरूप में प्राप्त कर केन्द्रों पर परीक्षार्थी के कम्प्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध करायेंगे।

15 परीक्षार्थी को जो मशीन आवंटित की गई है, उस पर सीट नम्बर, मशीन नम्बर, आई.पी एड्रेस, एवं कम्प्यूटर स्क्रीन पर स्वयं का फोटो है, यह सुनिश्चित कर सीट पर बैठे ।

16 परीक्षार्थी अपने रोल नम्बर एवं प्रवेश-पत्र पर अंकित पासवर्ड द्वारा लाग-इन कर सकेंगे ।

17 परीक्षार्थी द्वारा लाग-इन करने के पश्चात् स्क्रीन पर Instruction page, Symbol page display होगा ।

18 परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व परीक्षार्थी के स्क्रीन पर 05 प्रश्न दिये जावेगे जो आवेदक द्वारा हल किये जावेगे तत्पश्चात स्क्रीन पर माडल आंसर उपलब्ध होगा जिससे परीक्षार्थी अपने उत्तर चेक कर सकेगा । उक्त प्रक्रिया को परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व अधिकतम 03 बार दोहराया जा सकेगा, जिससे परीक्षार्थी स्वयं यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उसके कम्प्यूटर का माउस उसके द्वारा चाहे गये विकल्प पर ही क्लिक हो रहा है। उक्त प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न होती है तो वह कक्ष में उपस्थित वीक्षक/तकनीकी सहायक को उक्त संबंध में अवगत कराएगे, जिससे वीक्षक द्वारा शीध्र कार्यवाही की जा सके ।

19 परीक्षा के दौरान वीक्षक द्वारा उपस्थिति पत्रक पर परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान लिये जावेंगे तथा वीक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी उसी मशीन पर परीक्षा दे रहा है जो उसे आवंटित की गई है ।

20 प्रत्येक परीक्षार्थी का सत्यापन वेरिफिकेशन शीट के आधार पर बाये/दाये हाथ पर बैठे परीक्षार्थी द्वारा किया जावेगा कि बैठा हुआ परीक्षार्थी उसे आवंटित की गई मशीन पर ही पूरे समय बैठकर परीक्षा दे रहा था ।

21 परीक्षार्थी अपनी सुविधानुसार प्रश्नों को हल कर सकेंगे एवं समय संबंधी अलार्म परीक्षा प्रारंभ होने पर, परीक्षा प्रारंभ होने के 01:00 घण्टे पश्चात, 01:30 घण्टे पश्चात परीक्षा समाप्ति के 10:00 मिनट पूर्व तथा अंतिम अलार्म बजेगा परीक्षा समाप्ति पर बजेगा ।

22 परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु निर्धारित समय में हल किये गये प्रश्नो के उत्तरों को बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे वह चाहे गये प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय में बदल सकेगा ।

23 परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किये जाने पर वीक्षक द्वारा तत्काल प्रकरण तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, प्रकरण तैयार किये जाने के पश्चात् भी यदि परीक्षार्थी पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो उसे उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदाय की जा सकेगी, किन्तु यदि परीक्षार्थी आदेश का पालन नहीं करता है तो उसकी परीक्षा निरस्त की जायेगी । उक्त समस्त प्रकरण पर अंतिम निर्णय आयोग द्वारा लिया जावेगा ।

24 यदि परीक्षार्थी हल किये गये उत्तरों को समय समाप्ति के पूर्व सबमिट नहीं करता है तो मशीन स्वतः ही समय समाप्ति पर उत्तरों को सबमिट कर बन्द हो जावेगी।

<u>परीक्षा पश्चात की कार्य प्रक्रिया</u>

25 अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति पश्चात् हल किये गये प्रश्नों के उत्तरों का P.D.F. Form में पुनः अवलोकन कर सकेंगें। अवलोकन किये जाने हेतु 05 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जावेगा जिसके अंतर्गत वे हल किये गये उत्तरों में किसी का बदलाव नहीं कर सकेंगे ।

26 मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रवेश पत्र पर अंकित पते से परीक्षा केन्द्र शहर तक का यात्रा भत्ते का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से किया जायेगा;
इस हेतु अभ्यर्थियों को वांछित घोषणा-पत्र तथा निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-

- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की फोटो कापी
- यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा का विवरण तथा राशि का स्पष्ट उल्लेख हो जाति प्रमाण पत्र की फोटो कापी जमा करने पर ही प्रदान किया जायेगा ।

27 परीक्षा समाप्ति पश्चात् हल किये गये प्रश्नों एवं दिये गये उत्तरों की उत्तरपुस्तिका एवं प्रावधिक उत्तर कुंजी अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड ई-मेल आई-डी पर भेजी जावेगी ।

28 प्रावधिक उत्तर परीक्षोपरान्त आयोग की वैब साईट पर उपलब्ध रहेंगे ।

29 परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की माडल उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी । इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा । प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपये शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क तथा पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति मे वापस नहीं किया जाएगा।
प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1. ऐसे प्रश्न जिनका मॉडल कुंजी में गलत उत्तर दिया गया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब मॉडल कुंजी को संशोधित किया जायेगा।
2. आपत्तियों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार पाये गये प्रश्नों को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जायेगा:-
   ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में सही उत्तर न हो ।
   ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हों।
   प्रश्न के हिन्दी तथा अँग्रेजी अनुवाद मे भिन्नता हो
3. विषय विशेषज्ञों द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित की जाएगी ।
4. उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गये प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर प्रारम्भिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।